निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
121/2025	11.12.2025	14/5/26

घमण्डी पुत्र हरिचन्द जाति मीना निवासी फूलवाडा तहसील वजीरपुर—— वादी

बनाम

1— धनसिंह पुत्र स्व० गिरवर, मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर

2— धारा पुत्र स्व० गिरवर, मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर

3— लैण्ड होल्डर एंव उपपंजीयक तहसीलदार वजीरपुर। — प्रतिवादीगण

दावा बाबत किये जाने रहन मुक्ति घोषणा एंव इन्द्राज दुरूस्ती ।

उपस्थित — श्री सतीश चन्द शर्मा एडवोकेट वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि हाल ख0नं0 1467 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हैं। वादी ने अपनी घरेलू आवश्यकता हेतु प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता गिरवर वल्द भोला मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर से आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व रूपये उधार लिये थे तथा उक्त उधार ली गयी रकम के पेटे वादी ने अपनी खातेदारी की भूमि ख0नं0 1467 को रहन रख दिया था। जिसका इन्द्राज हाल रेवन्यु रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज चला आ रहा हैं। वादी ने जो रूपये प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 के पिता स्व० गिरवर मीना से लेकर अपनी उक्त भूमि को रहन किया था उसकी सम्पूर्ण राशि मय ब्याज के रकम उधार लेने के तीन माह बाद ही अदा कर दी तथा उसके खाते में रकम अदायगी बाबत लिखावट अंकित करवाकर खाता जमा करवा दिया किन्तु वादी एंव स्व० गिरवर को कोई कानूनी जानकारी नही होने के कारण राजस्व रिकार्ड में जो रहन मुर्तहन के इन्द्राजात हैं उनको निरस्त करवाने बाबत कोई कार्यवाही नही की गयी। इस कारण अब भी भूमि ख०नं0 1467 रकबा 0.15 हेक्टर वाके ग्राम फुलवाडा में रहन मुर्तहन का इन्द्राज दर्ज चला आ रहा हैं। जिसे राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में से रहन के नोट को हटवाया जाना आवश्यक हैं। वादी को अपने खाते की उक्त भूमि में दर्ज रहन कर जानकारी इससे पूर्व नही रही हैं। वादी ने दिनांक 9—9—2025 को पटवारी हल्का से के०सी०सी० की पत्रावली तैयार करने को कहा तो पटवारी हल्का ने जमाबन्दी देखकर बताया कि भूमि ख0नं0 1467 रकबा 0.15 हेक्टर पर गिरवर पुत्र भोला मीना के रहन दर्ज

होने का नोट जमाबन्दी में लगा हुआ हैं इस कारण तुम्हें के0सी0सी0 नही मिल सकती हैं। इस पर वादी ने दिनांक 9–9–25 को ही ई‍मित्र केन्द्र से हाल जमाबन्दी की नकल प्राप्त की। तब जाकर वादी को अपनी उक्त भूमि में लगे रहन के नोट की जानकारी हुयी हैं। ऋणदाता गिरवर वल्द भोला मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर की मृत्यु हो चुकी हैं जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 हैं। वादी ने प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 से कई बार मौखिक रूप से कहा तो उन्होने भी यह स्वीकार किया कि विवादित भूमि ख0नं0 1467 रकबा 0.15 हेक्टर पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा हैं और उनका इस भूमि से कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं हैं। यदि राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 के पिता स्व० गिरवर के नाम रहन मुर्तहिन के इन्द्राजात दर्ज हैं तो उसे हटवाये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं। साथ ही उन्होने यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में वादी न्यायालय में दावा कर दें तो इस सम्बन्ध में वे अपने बयान रहन के नोट को हटवाने के सम्बन्ध में कर देगें। कानूनन कोई रहन स्वतःही पांच वर्ष की अवधि के पश्चात वादगुजास्त माना जाता हैं। वादी ने दिनांक 8–12–2025 को पटवारी हल्का व तहसीलदार जी बजीरपुर से इस सम्बन्ध में निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय में कार्यवाही करने बाबत कहा। इस कारण वादी को माननीय न्यायालय में यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। वादी को अपनी भूमि में लगे रहन के नोट की जानकारी प्रथम बार दिनांक 09.09.2025 को पटवारी हल्का द्वारा देने एवं हाल जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने से तथा तहसीलदार वजीरपुर द्वारा रहन के नोट को दिनांक 8–12–2025 को हटाने से इन्कार करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ हैं। अतः दावा अन्दर मियाद पेश हैं। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी की भूमि हाल ख0नं0 1467 रकबा 0.15 है0 स्थित ग्राम फुलवाडा तहसील बजीरपुर के राजस्व रिकोर्ड हाल जमाबन्दी में दर्ज राहिन गिरवर पुत्र भोला मीना साकिन देह खातेदार के नोट को हजफ किये जाने के आदेश प्रतिवादी सं0 3 लैण्ड होल्डर एंव उपपंजीयक वजीरपुर को दिये जाकर रहन मुक्ति की घोषणा की जावें ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उनके प्रतिनिधी उपस्थित हुए।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दिनांक 22.01.2026 को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया। जबाब में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी के दावे को स्वीकार करते हुए अंकित किया है कि वादी द्वारा चाही जा रही दादरसी वादी को दिये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

वजीरपुर (स0मा0)

उक्त भूमि से रहन हटाया जावें एवं वादी का दावा डिक्री किया जावे तो इसमें जबाबदारान को कोई आपत्ति नही है।

जबाब दावा प्रस्तुत करने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 न्यायालय में उपस्थित नही हुए है।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2074–2077 खाता संख्या 126 ग्राम फुलवाडा प्रदर्श 1 प्रस्तुत की है एवं बयान वादी घमण्डी पुत्र हरिचन्द पीडब्ल्यू 1 कराये है।

बहस विद्वान वकील वादी सुनी गई।

वकील वादी ने अपने वाद के अनुसार बहस करते हुए वादी का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2074–2077 खाता संख्या 126 ग्राम फुलवाडा प्रदर्श 1 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1467 रकबा 0.15 है0 ग्राम फुलवाडा घमण्डी पुत्र हरिचन्द हिस्सा पूर्ण जाति मीना साकिन देह खातेदार राहित (पूर्ण खाता) राहिन गिरवर वल्द भोला मीना साकिन देह खातेदार की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत स्वीकारोक्ति के जबाब के अनुसार उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर पर दर्ज रहन के इन्द्राज को हटाने में उन्हें कोई आपत्ति नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 (2) (3) के अनुसार अनुसूचित जन जाति की भूमि अधिकतम पॉच वर्ष के लिए बंधक रह सकती है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम फुलवाडा के खसरा नम्बर 1467 रकबा 0.15है0 से राहिन का नोट हटाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/5/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

घमण्डी पुत्र हरिचन्द जाति मीना निवासी फूलवाडा तहसील वजीरपुर—— वादी

बनाम

1— धनसिंह पुत्र स्व० गिरवर, मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर
2— धारा पुत्र स्व० गिरवर, मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर
3— लैण्ड होल्डर एंव उपपंजीयक तहसीलदार वजीरपुर। — प्रतिवादीगण

दावा बाबत किये जाने रहन मुक्ति घोषणा एंव इन्द्राज दुरूस्ती ।

मुकदमा नं. — 121 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश चन्द शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई .... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम फुलवाडा के खसरा नम्बर 1467 रकबा 0.15है0 से राहिन का नोट हटाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/5/26 को जारी किया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

(सुधारानी मीना)
उपजिला कलेक्टर
वजीरपुर